1. In the court of Abhishek K. Das. Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
B.P. No. 427/2026, dt. 25.03.2026, Krishna Thakur vrs. State of Bihar.

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

<u>जमानत आवेदन संख्या–427/2026</u>

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. कृष्णा ठाकुर वल्द एतवारचन्द्र ठाकुर उम्र करीब 30 वर्ष
ग्राम–रेगनिया, थाना– जितना, जिला.....पूर्वी चम्पारण–आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री हरेश्वर प्रसाद,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

25.03.2026 काराधीन आवेदक/अभियुक्त कृष्णा ठाकुर की ओर से सुगौली थाना कांड संख्या–628/2025, धारा– 303(2) बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 23.12.2025 से कारा में है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक गिरिश ठाकुर का कथन है कि वह टंडस टावर लिमिटेड कम्पनी में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। उसके अधीन एक टावर जिसका आई.डी. बी.एच.एम.जी.ई.01 है जो कि फिरोज आलम के जमीन पर स्थित है। इस टावर पर से दिनांक 06.12.2025 के करीब आठ बैट्री अज्ञात चोरो द्वारा खोला जा रहा था। इसी समय टेक्नीशियन गिरीन्द्र ठाकुर द्वारा ग्रामीणो को सूचना दी गई। ग्रामीणों के सहयोग से जब सभी लोग टावर के पास गए जब तक चोरो ने बैट्री और एक चार पहिया वाहन जिसका नं0– बी.आर. 06 एन– 8753 मारूति सुजकी को छोड़ कर फरार हो गया। इसकी सूचना प्रशासन को उसी समय दिया गया। प्रशान द्वारा बैट्री एवं गाड़ी को बरामद किया गया।

जमानत आवेदन की कंडिका–2 में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या

माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि आवेदक दिनांक 23.12.2025 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन इस आशय का दाखिल किया गया कि जमानत आवेदन की कंडिका–3 में आवेदक का आपराधिक इतिहास लिखना छूट गया है। आवेदक के विरूद्ध मंझौलिया थाना कांड संख्या– 142/2018 दर्ज है, जिसमें उसकी रिहाई हो चुकी है। अतः जमानत आवेदन की कंडिका–3 में अंकित करने का निवेदन किया गया है। आवेदक की प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया गया। आवेदन को प्रचालित किया गया । सुना। आवेदक का आवेदन स्वीकृत हुआ। कार्यालय जमानत आवेदन की कंडिका–3 में आवेदक का आपराधिक इतिहास अंकित करे।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसने आरोपित आरोप को कारित नहीं किया है, उसे गलत नियत से इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। आवेदक प्राथमिकी में नामित नहीं है, न ही उसके पास से कोई बरामदगी है। आवेदक चार पहिया गाड़ी का मालिक है, जो मरम्मती के लिए गैरज में था जिसे आवेदक के बिना अनुमति के सह अभियुक्त मुन्ना कुमार चोरी के उद्देश्य से ले गया था जब हल्ला पर ग्रामीण पहुँचे तो मुन्ना कुमार भाग गया तथा पुलिस खोजबीन करते हुए आवेदक के घर पर पहुँचा और आवेदक को गिरफ्तार कर लिया। आवेदक की इस घटना में कोई संलिप्तता नहीं है। सह अभियुक्त मुन्ना कुमार एवं अरूण कुमार को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त नहीं है । प्राथामिकी निबंधन संख्या– बी. आर. 06एन– 8753 के मालिक के नाम से दर्ज है। उक्त गाड़ी जिसको घटनास्थल पर बरामद किया गया था जिसके स्वामी आवेदक है। आवेदक घटनास्थल पर गिरफ्तार नहीं हुआ था। कांड दैनिकी की कंडिका–25 में छापामारी के कम में आवेदक के घर से चोरी में प्रयोग किए गए पिलास,

कटर एवं टेस्टर बरामद होना अंकित है। कांड दैनिकी की कंडिका–26 में आवेदक का संस्वीकृति बयान अंकित है, जिसमें आवेदक द्वारा बैट्री चोरी के मामले में अन्य अभियुक्तों के साथ अपनी संलिप्तता बताया है। कांड दैनिकी की कंडिका–41 में आवेदक का आपराधिक इतिहास दर्ज जिसमें आवेदक के विरूद्ध मंझौलिया थाना कांड संख्या– 142/2018 दर्ज होना अंकित है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। आवेदक के विरूद्ध आरोपित धाराओं में सात साल से कम के सजा का प्रावधान है। आवेदक दिनांक 23.12.2025 से कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध आरोप की प्रकृति एवं आवेदक के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त कृष्णा ठाकुर की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक विचारण में सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 25.03.2026